

**प्रेस नोट दिनांक 29.11.2025**

**थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त शिवा सरोज को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत मौर्या तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण -**

दिनांक 21.09.2025 को ग्राम बरना थाना हथिगवां में पुरानी रंजिश को लेकर वादी पर शिवा सरोज, सत्यम सरोज, राम प्रताप सरोज व मनीष सरोज ने लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। सत्यम व राम प्रताप ने वादी को पकड़ रखा था और शिवा व मनीष ने सिर पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे वादी बेहोश होकर गिर पड़े। बीचबचाव करने आये भतीजे को भी मारा-पीटा गया। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। इस संबंध में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 189 / 2025 धारा 115 (2)/352/109 (1)/ 351 (3) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार मयहमराह का0 अनिल यादव द्वितीय, का0 गौरव कुमार, म0का0 पूजा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 189 / 2025 धारा 115 (2)/352/109 (1)/ 351 (3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त शिवा सरोज पुत्र मुनीम सरोज, नि0ग्राम बरना कल्यानगढ़ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत मौर्या तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01. शिवा सरोज पुत्र मुनीम सरोज, नि0ग्राम बरना कल्यानगढ़ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

**पुलिस टीम का विवरण-**

उ0नि0 अजय कुमार मयहमराह का0 अनिल यादव द्वितीय, का0 गौरव कुमार, म0का0 पूजा थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

### थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कुण्डा के उ0नि0 अंकित कुमार सिंह, महिला का0 अनुराधा सिंह, महिला का0 डिकल शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0अ0स0 45/2015 धारा 498A भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 03 नफर वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता, 1. सुरेश कुमार सरोज उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 प्रदीप कुमार, 2. राजकुमारी उर्फ कानी पत्नी स्व0 प्रदीप कुमार, 3. बुधा देवी उर्फ संजना पत्नी सुरेश कुमार उर्फ बब्लू निवासीगण फेरई का पुरवा थाना कुण्डा प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा ग्राम फेरई में उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. सुरेश कुमार सरोज उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 प्रदीप कुमार,
2. राजकुमारी उर्फ कानी पत्नी स्व0 प्रदीप कुमार,
3. बुधा देवी उर्फ संजना पत्नी सुरेश कुमार उर्फ बब्लू निवासीगण फेरई का पुरवा थाना कुण्डा प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित कुमार सिंह, महिला का0 अनुराधा सिंह, महिला का0 डिकल शर्मा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा विद्युत बिल वसूली के दौरान बाधा एवं हमला प्रकरण से संबंधित 01 अभियुक्त आदर्श गौतम उर्फ शानू गौतम को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत पीपल का पेड़ पूरे तोरई मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2025 को 33/11 केवी विद्युत बिल वसूली के दौरान ग्राम पूरे तोरई में आरोपियों नवल किशोर उर्फ सुनील व शानू गौतम ने वसूली कार्य में बाधा डालते हुए गाली-गलौज की। थोड़ी दूरी पर दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर निविदा कर्मचारी पर लोहे की रॉड व सरिया से हमला किया, जिसमें उनका बायाँ हाथ फ्रैक्चर हो गया तथा सिर में गंभीर चोट आई। इस संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 197/25 धारा 121(2),132,115(2),352,351(3) बीएनएस बनाम 02 नामजद व 02 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 श्री राजीव वर्मा मयहमराह उ0नि0 श्री रेयाज अहमद, का0 दिनेश यादव, का0 पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 197/25 धारा 121(2),132,115(2),352,351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त आदर्श गौतम उर्फ शानू गौतम पुत्र जीतलाल निवासी ग्राम पूरेतोरई कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत पीपल का पेड़ पूरे तोरई मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 31.08.2025 को विजली कर्मचारी मेरे घर बकाये कि राशि बसूल करने गये थे तथा बकाया राशि जमा न करने पर कनेक्शन काटने की धमकी दिये थे। उक्त धमकी के सम्बन्ध में मैं अपने भाई के साथ विजली घर कटरा गुलाब सिंह जा रहा था कि मार्केट में ही विजली कर्मचारी मिल गये थे। जिनसे बिजली काटने की धमकी की बात पर उनके द्वारा मुझे भी बिजली काटने की धमकी दी गयी थी। उसी बात पर विजली कर्मचारी से हम दोनों भाईयो का विवाद हो गया था। जिसमें धक्का मुक्की में एक विजली कर्मचारी गिर पड़ा था मैंने व मेरे भाई ने किसी को जान बूझकर मारा पीटा नहीं था। बाद में जेई ने मेरे व मेरे परिवार के नवल किशोर के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था, उसी के डर से पुलिस से छिपकर रह रहा था, आज आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.आदर्श गौतम उर्फ शानू गौतम पुत्र जीतलाल निवासी ग्राम पूरेतोरई कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री राजीव वर्मा मयहमराह उ0नि0 श्री रेयाज अहमद, का0 दिनेश यादव, का0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 06 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहे से करीब 500 मीटर पहले सुजाखर रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 आकाश शुक्ला का0 अमित कुमार यादव व का0 रामनिवास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहे से करीब 500 मीटर पहले सुजाखर रोड़ के पास से 03 अभियुक्तों, 1. मो0 फिरोज पुत्र इस्लाम नि0 सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष, 2. मो0 आसिफ पुत्र मो0 असलम नि0 सुजाकर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 3. इमाम अली पुत्र बब्बू नि0 सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 को 06 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 अदद मो0साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के पास से 06 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 223/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है । अभियुक्तों से बरामद 01 अदद मोटर साइकिल को विधिक कार्यवाही करते हुए धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 फिरोज पुत्र इस्लाम नि0 सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।
2. मो0 आसिफ पुत्र मो0 असलम नि0 सुजाकर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।
3. इमाम अली पुत्र बब्बू नि0 सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

01- इमाम अली पुत्र बब्बू नि0 सुजाखर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 01/2016 धारा 306 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 223/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

06 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 आकाश शुक्ला का0 अमित कुमार यादव व का0 रामनिवास यादव थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

### थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तों को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत श्यामा रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.11.2025 को वादी की पुत्री से दहेज की मांग को लेकर आरोपीगणों द्वारा गला दबाकर हत्या कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 283/25 धारा 80(2)/85/352 बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह का0 कुलदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 283/25 धारा 80(2)/85/352 बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों 1.गुल्लू उर्फ निर्भय पुत्र रंजीत कुमार निवासी ग्राम उमरी बुजुर्ग थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष 2. रंजीत पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम उमरी बुजुर्ग थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत श्यामा रिसोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. गुल्लू उर्फ निर्भय पुत्र रंजीत कुमार निवासी ग्राम उमरी बुजुर्ग थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
2. रंजीत पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम उमरी बुजुर्ग थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह का0 कुलदीप यादव थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।